**संख्या-31/2021/4456/41-2020-94(बजट)/2018**

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ

पर्यटन अनुभाग — लखनऊ, दिनांक 14 जनवरी, 2021

**विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्रर्दशिनियों में भाग लेने पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।**

---

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-3590/4-2-2/(बजट)/प्रचार/2017-18 दिनांक 02 नवम्बर, 2020 तथा पत्र सं0-4181/4-2-2/(बजट)/प्र0/2017-18 दिनांक 03 दिसम्बर, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उक्त के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2020-21 में **04-प्रर्दशिनियों में भाग लेने पर व्यय** मद में प्रावधानित धनराशि का 50 प्रतिशत की धनराशि को वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 के प्रस्तर-2 के उप प्रस्तर-(6) (अ) में दिये गये निर्देश, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन महानिदेशक पर्यटन के निवर्तन पर रखा जाना है।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में **04-प्रर्दशिनियों में भाग लेने पर व्यय-42-अन्य व्यय** मद में प्रावधानित धनराशि रू0 20.00 लाख का 50 प्रतिशत अर्थात रू0 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) की धनराशि को महानिदेशक, पर्यटन के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-149/दस-2020-231/2019, दिनांक 24 मार्च, 2020,शासनादेश सं0-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020 दिनांक 7-4-2020, शासनादेश सं0-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020 दिनांक 11-4-2020 एवं शासनादेश सं0-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020 दिनांक 18-5-2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यतानुसार ही किया जायेगा तथा प्रस्तावित आयोजन हेतु मदवार व्यय का विवरण सक्षम स्तर से प्रमाणित कराते हुए शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही प्रस्तर-2 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण/व्यय उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रह तथा स्थायी आदेशों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों के अन्तर्गत सुनिश्चित किया जायेगा एवं व्यय की गयी धनराशि का मदवार व्यय-विवरण शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराते हुए शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि में से नियमानुसार व्यय किये जाने हेतु आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्डस आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(5) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न कर कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के अनुसार किया जाय तथा पूर्व वर्षो में इस मद में व्यय की गयी धनराशि का पूर्ण प्रामाणिक उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी शासन को सक्षम स्तर से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का व्यय सुनिश्चित करने के पूर्व महालेखाकार एवं आन्तरित लेखा परीक्षा के रिपोर्टों/प्रतिवेदनों/आपत्तियों को अनिवार्य रूप से दृष्टिगत रखते हुए उसका समाधान करने के पश्चात ही नियमानुसार व्यय सुनिश्चत किया जायेगा ।

(7) महानिदेशक पर्यटन द्वारा प्रश्नगत आयोजन के फलस्वरूप पर्यटन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के सापेक्ष अध्ययन कर लिया जायेगा कि इससे क्या लाभ प्राप्त हुए हैं तथा आगामी वर्ष में इसके विवरण सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा । उक्त के अतिरिक्त इस बिन्दु पर भी सम्यक विचार एवं समीक्षा कर ली जाए कि एक ही आयोजन हेतु कितने वर्षो तक अनुदान दिया जाना उचित होगा ताकि अन्य आयोजनों हेतु भी अनुदान दिये जाने पर विचार किया जा सके तथा होने वाले आयोजन मात्र अनुदान पर ही निर्भर न हो सकें ।

4- प्रस्तर-3 में निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के राजस्व लेखा शीर्ष-3452-पर्यटन-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-**04-प्रर्दशिनियों में भाग लेने पर व्यय-42-अन्य व्यय मद** के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर 2020 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

**संख्या-31/2021/4456(1)/41-2020-94(बजट)/2018 तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-7
8- वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/2
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in